दिनांक	आज्ञा पत्र	
8.1.18	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत । संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलान्ट ने अदालत मातहत में दावा इस्तकरारहक तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 40 से 44, 101से 103 कुल किता- 8 रकबा 15.99 हैक्टर तन ग्राम कोटडी सिमारला का वर्तमान राजस्व रेकार्ड जरिये विरासत मृतक खातेदार पिता वादी जगन्नाथ के स्थान पर वादी, प्रतिवादी सं0-1 एवं प्रतिवादी सं0-5 से 7 के नाम दर्ज है । आराजी ख0नं0 46, 50, 51, 52, 53, 54, 49/1388 कुल किता-7 रकबा 7.96 हैक्टर ग्राम कोटडी सिमारला में 1/2 हिस्सा वादी के पिता जगन्नाथ के स्थान पर वादी एवं प्रतिवादी सं0-1 व 5 से 7 के नाम दर्ज है जिसमें प्रतिवादी सं0-5 का नाम राजस्व रेकार्ड में लक्ष्मण के स्थान पर सत्यनारायण गलत दर्ज हो गया । जबकि सत्यनारायण पुत्र जगन्नाथ नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में नहीं है ।वादी एवं प्रतिवादी सं0-1 व 5 से 7 आपस में सगे भाई हैं ।तथा विवादित आराजी पैत्रिक भूमियां है । जिसमें उक्त वर्णित सभी आराजीयात का बाहमी बंटवारा काफी वर्षों पूर्व कर मौके पर अपने अपने हिस्से पर काबिज हैं । उक्त आराजी काविधिवत बंटवारा का दावा अदालत मातहत में पेश किया जिसे अदालत मातहत ने दावा अदम हाजरी में खारिज कर दिया । जिसके विरूद्ध अपीलान्ट/वादी ने यह अपील पेश की निम्न आधारो पर पेश की :-	

Web Copy - Not Official

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । विवादित आराजी पैत्रिक है जो अपीलान्ट के पिता जगन्नाथ के नाम दर्ज थी बाद में विरासत से अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं0-1 व 5 से 7 के नाम दर्ज रही है । राजस्व रेकार्ड में रेस्पोडेन्ट सं0-5 लक्ष्मण के स्थान पर सहवन सत्यनारायण

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	का नाम गलत दर्ज हो गया । रेस्पोडेन्ट सं0-1 सबसे बडा भाई है । विवादित आराजी उक्त पांचों भाईयों के कब्जा काश्त एवं खातेदारी में दर्ज है । इस आराजी का पांचों भाईयों ने अपने पिता के जीवनकाल में ही बंटवारा कर लिया था । अपीलाट ने अपने हिस्से में आई भूमियों का खाता अलग कराने के लिये यह दावा किया जिसे अदालत मातहत ने वादी की अदम हाजरी में खारिज कर दिया । जिसमें अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का कोई अवसर नहीं मिला। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे। अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामि पत्रावली की गई बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई । विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अदालत मातहत में अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर न देकर आदेश पारित किया है ।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का आदेश निरस्त किया जावे ।	

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि अदालत मातहत का आदेश उचित एवं विधिक है । अपीलान्ट का ही दावा अदालत मातहत में था अपीलान्ट अपने दावे के प्रति सजग नहीं रहा तथा जानबुझकर हाजिर नहीं आने पर अदालत मातहत ने दावा अदम हाजरी में खारिज किया है ।प्रतिवादीगण की तलबी भी बार बार लिखने पर भी नहीं करवाई इस कारण अपीलान्ट का दावा नोन कम्पलांयस में भी खारिज किया है जिसकी अपील माननीय न्यायालय पोषणीय नहीं है । इस आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी करनी चाहिये थी ।अपीलान्ट की अपील पोषणीय नहीं होने से भी काबिल खारिज होने योग्य है ।अपीलान्ट

अपने कृतव्यों के प्रति सजग नहीं है ।अपीलान्ट ने यह अपील दिनांक 19-11-05 को पेश की जिसको लगभग 12 वर्ष तक बिना किसी कारण के हमे परेशान करने की नियत से चला रखी है । अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । अदालत मातहत ने वादी का दावा अदम हाजरी एवं नोन कम्पलांस में खारिज किया है अर्थात दावे का निर्णय गुणावगुण पर नहीं किया गया । जबकि कानूनन एक दावे का निर्णय कानूनी बिन्दू पर न कर गुणावगुण पर किया जाना चाहिये जिसके लिये पक्षकार को भी सजग होना आवश्यक है । अपीलान्ट अपने कृतव्यों के प्रति सजग न रहकर अदालत मातहत में अदालत के आदेशों की पालना नहीं की तथा न ही न्यायालय में हाजिर रहा । जिस पर अदालत मातहत के पास अदम हाजरी में दावा खारिज करने के अलावा कोई चारा नहीं रहता है ।अदालत मातहत का निर्णय उचित है किन्तु हम न्यायहित में यह उचित मानते हैं कि प्रकरण मे निर्णय गुणावगुण पर पक्षकारों को सुनकर पारित किया जावे ।जिससे हम अपील को अन्दर मियाद शुमार कर रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं । साथ ही यह भी उचित मानते हैं कि अपीलान्ट ने यह अपील मियाद बाहर पेश की है तथा अदालत मातहत में भी उपस्थित नहीं रहा अर्थात अपने दावे के प्रति सजग नहीं रहा है जिसके लिये अपीलान्ट को भी आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाना उचित मानते हैं ।

अतः अपीलान्ट की अपील उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य मे 3000/-रूपये अक्षरे तीन हजार रूपये की कोर्ट पर स्वीकार की जाती है तथा विद्वान सहायक कलेक्टर श्रीमाधोपुर का निर्णय दिनांक 9-3-2005 खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	वह पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत का अवसर देते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें । पक्षकार अदालत मासहत में दिनांक 25-1-2018 को उपस्थित होवें । निर्णय सुनाया गया । 8/1/18 (भंवरलाल मेहरड़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	